दिनांक- 23 जनवरी, 2025

थाना – स्याना

33 वर्ष से फरार वारंटी गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 23.01.2025 को थाना स्याना पुलिस द्वारा 33 वर्ष से फरार वारण्टी रहीश तेली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना स्याना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/90 धारा 379,411 भादिव में 33 वर्ष से फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध मा0 न्यायालय से गिरफ्तारी अधिपत्र भी जारी किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में थाना स्याना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1. रहीश तेली पुत्र अमीरा निवासी ग्राम चिंगरावठी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर। अभियुक्त रहीस तेली का आपराधिक इतिहास-
- 1. मु0अ0सं0 114/90 धारा 379,411 भादिव थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर। गिरफ्तार करने वाली टीम-
- 1. श्री प्रेमचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना
- 2. उ0नि0 महक सिंह, उ0नि0 नीरज मलिक
- 3. का0 मनोज कुमार, का0 विकास नैन



मीडिया सैल बुलन्दशहर